

प्रेषक,

लकी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।

सेवा में,

श्री रमेश कुमार (मालवीय)
उपनिबन्धक (एच),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बागपत।


विषय- पत्र संख्या 7683/IV-4001 एडमिन (ए) दिनांक 18.05.2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

तिनम निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के समय की सम्पत्ति का ब्यौरा दिनांक 15.09.2015 में भेजा गया था, जिसके प्रस्तर संख्या 5 में बचत खाता संख्या 31970687496 में उस समय कितनी धनराशि जमा थी, वह भूलवश नहीं लिख पाया था। उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करते समय मेरे बचत खाता संख्या 31970687496 में मात्र 5- रूपये जमा थे। मेरे द्वारा ज्ञान के अभाव में दो वित्तीय वर्षों का सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं भेजा गया, जिसका मुझे खेद है और जो लिखित में मेरे द्वारा शीघ्र ही अलग से भेजा जा रहा है।

दिनांक 22.07.2017

भवदीय,


(लकी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

बागपत।

कार्यालय: जनपद न्यायाधीश बागपत
पत्रांक 1565/IV दिनांक 22/7/17
अग्रसारित

जनपद-न्यायाधीश,
बागपत।